

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, वन मण्डल उत्तर शहडोल (सामान्य) (म०प्र०)
२५४/२४८७ ०१-५-२५

//निविदा सूचना//

वन मण्डल उत्तर शहडोल के अंतर्गत वित्तीय वर्ष २०२५-२६ हेतु आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यशालाओं, प्रोग्रामों आदि में चाय, नाश्ता, भोजन आदि व्यवस्था की आपूर्ति हेतु आनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	सामग्री/कार्य का नाम	ईकाई	मात्रा
१	चाय	प्रति कप १०० एम.एल	आवश्यकतानुसार
२	काफी	प्रति कप १०० एम.एल	आवश्यकतानुसार
३	पोहा ५०ग्राम, समोसा ०२ नग, जलेबी ५०ग्राम	प्रति प्लेट	आवश्यकतानुसार
४	चावल, रोटी, दाल, पूड़ी, सब्जी दो प्रकार की	प्रति थाली	आवश्यकतानुसार
५	पानी बाटल ०१ लीटर आईएसआई	प्रति नग	आवश्यकतानुसार


वनमण्डलाधिकारी
उत्तर शहडोल वनमण्डल म०प्र०

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल उत्तर शहडोल म.प्र.)

[E-Mail – dfotnshahd@mp.gov.in, Ph. 07652-245167]

वर्ष 2025-26 भोजन सामग्री प्रदाय हेतु

निविदा शर्तें

भाग -1

- 01 निविदा प्रपत्र म.प्र.शासन की वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> से डाउनलोड करें। निविदा संबंधी सामान्य जानकारी वन विभाग की वेब-साईट <https://mptenders.gov.in> पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है।
- 02 यह निविदा उत्तर शहडोल वनमंडल हेतु भोजन सामग्री हेतु आमंत्रित की जा रही है।
- 03 सामग्री क्रय हेतु निविदा की वेबसाईट <https://mptenders.gov.in> पर आनलाईन पद्धति से प्रस्तुत किया जाना है। निविदा में किसी प्रकार के संशोधन की जानकारी वेबसाईट पर दी जावेगी।
- 04 निविदा आनलाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का विवरण आनलाईन देखी जा सकती है।
- 05 यदि निविदा खुलने की दिनांक को अपरिहार्य कारणों से यदि निविदा खोली नहीं जा सकती है तो निविदाएं आगामी कार्य दिवस पर दोहरे 12 बजे खोली जावेगी।
- 06 प्रक्रिया-1 निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये राशि 1000 रुपये: एक हजार रुपये मात्र) है इसे आनलाईन जमा किया जाना है। जमा की रसीद को निविदा के साथ अपलोड करना है।
- 07 प्रक्रिया-2 तत्पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया 1 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही तकनीकी निविदा देखी जावेगी। तकनीकी निविदा के भाग-2 में दर्शित दस्तावेज फर्म की सील एवं हस्ताक्षरित अपलोड किये गये दस्तावेज देखा जावेगा।
- 08 प्रक्रिया-3 तत्पश्चात् उपरोक्त प्रक्रिया 2 में योग्य पायी जाने वाली फर्मों की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। वित्तीय निविदा को एक्सेल शीट में आनलाईन प्रस्तुत किया जाना है।

भाग -2

तकनीकी/फाईनेन्शियल निविदा की अर्हकारी शर्त

- 01 निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बावत् निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रुपये 100 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें। (निविदा में दिए प्रारूप अनुसार) या काली सूची से बाहल किया गया हो तो तदनुसार अभिलेख अपलोड करें।
- 02 निविदा के साथ निम्नांकित दस्तावेजों की स्केन प्रति जिस पर फर्म की सील सहित हस्ताक्षर होने चाहिए निविदा के साथ अपलोड करें।
 - क. जी.एस.टी.प्रमाण पत्र की छायाप्रति। जो फर्म के नाम से हो।
 - ख. आयकर कार्ड की छायाप्रति ।
 - ग. फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र छायाप्रति ।
- 3 पिछले एक वित्तीय वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करें।
- 4 निविदा केवल आनलाइन निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी। प्रपत्र का मूल्य रुपये 1000 वापसी योग्य नहीं है, पोर्टल शुल्क अलग से देय होगी।
- 5 यदि निविदा की शर्तों एवं दिनांक में यदि कोई संशोधन किये जाने की स्थिति निर्मित होती है तो इसकी सूचना वेबसाइट के माध्यम से ही आनलाईन की जावेगी। इस हेतु पृथक से समाचार पत्रों में संशोधन की सूचना जारी नहीं की जावेगी।
6. निविदा में एक से अधिक एल-1 प्रदायकर्ता प्राप्त होने की स्थिति में न्यूनतम कोट रेट (कुल दर) के आधार पर निविदा प्रदाय की जावेगी।


वनमण्डलाधिकारी

वनमण्डल उत्तर शहडोल म०प्र०

**निम्नानुसार दस्तावेजों फर्म की सील एवं हस्ताक्षर सहित स्केन
कापी अपलोड की जाना है।**

क्र.	विवरण
1	निविदा प्रपत्र का मूल्य रुपये 1000.00 (रुपये: एक हजार मात्र) जमा की रसीद।
2	निविदा में भाग लेने वाली फर्म किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लेक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस बावत् निविदाकर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो रुपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित कर अपलोड करें। (निविदा में दिए प्रारूप अनुसार) या काली सूची से बाहल किया गया हो तो तदनुसार अभिलेख अपलोड करें।
3	जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करें। जो फर्म के नाम से हो।
4	आयकर कार्ड की छायाप्रति अपलोड करें।
5	फर्म का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करें।
6	पिछले 01 वित्तीय वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) जमा प्रमाण पत्र की छायाप्रति अपलोड करें।
7	निविदाकार का पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीयन निविदा प्रकाशन के पूर्व का होना अनिवार्य है। उसके पास जी.एस.टी.नंबर होना चाहिए। फर्म पंजीकरण/सामग्री की डीलरशिप प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति निविदा के साथ अपलोड करे।
8	प्रपत्र 1 निविदा के साथ अटैच भरकर अपलोड करें।
9	आनलाईन निविदा डालने हेतु राशि ₹0 50000/- (पचास हजार मात्र) की प्रतिभूति राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ.डी.आर./ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से वन मण्डलाधिकारी उत्तर शहडोल वनमण्डल (सा.) के पक्ष में जमा कर अपलोड करना अनिवार्य है । जो कि निविदा की अंतिम तिथि से 45 दिन बाद की अवधि तक वैध होना आवश्यक होगा। इसके आभाव में निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

भाग -3

निविदा की अन्य शर्तें

- 01 पात्र पाई गयी संस्था से प्रथमतः वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुबंध किया जाएगा।
- 02 निविदा माह आदेश जारी दिनांक से 31.03.2026 तक की अवधि के लिये मान्य होगी। वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात दोनों पक्षों की सहमति से निविदा की अवधि दो माह तक बढ़ायी जा सकेगी।
- 03 आनलाईन निविदा डालने हेतु राशि ₹0 50000/- की प्रतिभूति राशि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से एफ.डी.आर./ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के माध्यम से वन मण्डलाधिकारी उत्तर शहडोल वनमण्डल (सा.) के पक्ष में जमा कर संलग्न करना अनिवार्य है। जो कि निविदा की अंतिम तिथि से 45 दिन बाद की अवधि तक वैध होना आवश्यक होगा। इसके आभाव में निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 04 सामग्री का प्रदाय संतोषजनक न होने या सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं करनेकी स्थिति में सफल निविदाकर्ता का आदेश वन विभाग उत्तर शहडोल वनमण्डल द्वारा निरस्त किया जा सकता है एवं धरोहर राशि जप्त की जावेगी। इसमें जो भी आर्थिक हानि होगी उसकी वसूली स्वीकृत निविदाकर्ता से की जावेगी। ऐसी परिस्थिति में भुगतान से कटौती का अधिकार वनमंडलाधिकारी वनमंडल उत्तर शहडोल वनमण्डल के विवेकाधिकार पर सुरक्षित रहेगा।
- 05 सामग्री स्वीकृत स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रदाय करने पर ही स्वीकार की जावेगी। आदेशित सामग्री स्पेसिफिकेशन अनुरूप न होने या निर्धारित गुणवत्ता से कम होने पर सफल निविदाकर्ता को उनके व्यय पर वापस की जावेगी। कोई भी सामग्री इंक द्वारा लिखकर डुप्लीकेट दर्शाई जाती है या मूल निर्माता कंपनी की न होने पर निविदाकर्ता पर कार्यवाही की जावेगी।
- 06 उत्तर शहडोल वनमण्डल की क्षेत्रीय सीमा के अंदर परिक्षेत्र अमझोर/जयसिंहनगर/पूर्व ब्यौहारी/पश्चिम ब्यौहारी/ गोदावल के वनक्षेत्रों में प्राधिकृत द्वारा दिए आदेश के अनुसार आदेशित स्थल पर सामग्री प्रदाय की जानी होगी।
- 07 प्रदाय हेतु ई-निविदा में सामग्री की मात्रा दर्शित नहीं की जा रही है पूरे वर्ष में आवश्यकतानुसार क्रय की जावेगी। निविदा में दर्शित सामग्री क्रय करने अथवा नहीं करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
- 08 निविदा दरें कार्य स्थल तक परिवहन लोडिंग एवं अनलोडिंग व्यय व रायल्टी सहित होगी। दर समस्त देय करों सहित प्रस्तावित करना होगा।
- 09 भुगतान राशि से नियमानुसार समस्त देय करों की कटौती तात्कालिक नियमानुसारकी जावेगी।
- 10 निविदाकार का पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीयन निविदा प्रकाशन के पूर्व का होना अनिवार्य है। निविदाकार के पास जी.एस.टी.नंबर होना चाहिए। फर्म पंजीकरण/सामग्री की डीलरशिप प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- 11 सामग्री का प्रदाय आदेश जारी होने के 07 दिवस के अंदर आदेशित स्थल तक परिवहन करना होगा।
- 12 सामग्री की क्वालिटी एवं मात्रा का सत्यापन अधोहस्ताक्षरकर्ता/ उप वनमंडलाधिकारी/ परिक्षेत्राधिकारी द्वारा

- किया जावेगा। सत्यापित मात्रा के अनुसार ही भुगतान होगा।
- प्रदाय स्थल पर सामग्री को ऐसा रखा जावेगा जिससे मापन में सुविधा हो।
- 14 सफल निविदाकार द्वारा इन शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर या शासन को क्षति होने पर प्रतिभूति की राशि राजसात कर ली जावेगी तथा प्रदायकर्ता का नाम काली सूची में दर्ज करने एवं निविदा करारनामा समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।
- 15 निविदा पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा किसी भी स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार वन विभाग वनमण्डलाधिकारी उत्तर शहडोल वनमण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
- 16 निविदा दर स्वीकृत होने पर 500. रु. का स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किया जाना होगा।
- 17 जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी सत्यंकार राशि 30 दिवस के अन्दर लौटा दी जावेगी।
- 18 स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई धरोहर राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।
- 19 सामग्री की गुणवत्ता हेतु मापदंड आई.एस.आई मार्क/लोक निर्माण विभाग के वर्तमान में प्रचलित मैन्यूअल /म.प्र.लघु उद्योग निगम द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप होंगे।
- 20 सामग्री के क्रय आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा जारी किये जावेंगे। जिसमें सामग्री प्रदाय करने हेतु कार्य स्थल दर्शाया जावेगा जो परिक्षेत्र मुख्यालय से 70 किलोमीटर की परिधि में हो सकता है। प्रदायकर्ता को सामग्री कार्य स्थल तक पहुंचा कर देनी होगी।
- 21 अद्योहस्ताक्षरकर्ता को निविदाएं बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
- 22 निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर वन विभाग वनमण्डलाधिकारी उत्तर शहडोल वनमण्डल का निर्णय अंतिम होगा।
- 23 किसी भी तरह के विवाद के लिए न्यायालय क्षेत्र शहडोल न्यायालय के अंतर्गत रहेगा।
- 24 क्रय किये जाने वाली सामग्री का विवरण क्रय आदेशों में स्पष्ट किया जावेगा। जो कि निविदाकार के द्वारा दिये गये पते पर पंजीबद्ध डाक वाट्सएप अथवा ईमेल से भेजा जावेगा। सामग्री 07 दिवस में प्रदाय करने में असमर्थ रहने की दशा में आदेशकर्ता अधिकारी का यह अधिकार होगा कि वह प्रदाय आदेश रद्द कर सामग्री अन्य से क्रय कर सकेगा। ऐसी स्थिति में निविदाकार के द्वारा जमा की गयी जमानत राशि अधिहरित की जा सकेगी अन्यत्र से सामग्री क्रय किये जाने के कारण अधिक राशि का भुगतान शासन को करना पड़ेगा अधिक भुगतान राशि को निविदाकार से वसूली/बकाया भू-राजस्व के बतौर निविदाकार से वसूली होगी।


वनमण्डलाधिकारी
उत्तर शहडोल वनमण्डल म0प्र0

निविदा वर्ष-2025-26

शपथ पत्र

रूपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित

मैं.....द्वारा प्रोप्राइटर मेसर्स.....

..... निम्नलिखित कथन शपथ लेकर कहता हूँ कि:-

- 01 यह कि फर्म को किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम से कभी भी ब्लैकलिस्टेड नहीं किया गया है।
- 02 यह है कि फर्म का उपयोगी सामग्री (आमंत्रित निविदा में दर्शित सामग्री) प्रदाय संबंधी कोई कानूनी विवाद में न्यायालय द्वारा दंडित नहीं किया गया है।
- 03 यह कि फर्म को किसी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक से दिवालिया घोषित नहीं किया गया है।
- 04 यह कि निविदा में प्रस्तुत अथवा शपथ पत्र में पाई गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरी निविदा को निरस्त

करने तथा सुरक्षा निधि जप्त करने का अधिकार वनमंडलाधिकारी उत्तर शहडोल (सा.) वनमंडल को होगा।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता सत्यापित करता हूँ कि मैंने द्वारा निष्पादन उक्त शपथ पत्र के बिन्दू (01 से 04 में वर्णित कथन मैंने निजी ज्ञान व विश्वास अनुसार पूर्ण सत्य है।

शपथग्रहिता

प्रपत्र ए-1
(निविदा प्रपत्र)

प्रति

वनमंडलाधिकारी
उत्तर शहडोल वनमंडल

विषय:-

खाद्य सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा वर्ष 2025-26 बावत्।

महोदय

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि हमारी संस्था की जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	
1	फर्म का नाम	
2	पत्र व्यवहार का पता	
3	फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
4	पदनाम	
5	दूरभाष नम्बर (मोबाईल एवं लैंडलाइन)	
6	ईमेल आई डी	

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निविदा के भाग 1,2 एवं 3 में दर्शित शर्तों के अनुसार उपयोगी ई-निविदा में दर्शित सामग्री क्रय हेतु निविदा वर्ष 2023-34 का कार्य पूर्णतः करने को अपनी सहमति प्रदान करते हैं।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर एवं सील